राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति :- 1958

इसका मुख्य कार्य कि स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने अनुसार प्रस्तुत करना था।

(1) केन्द्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार के अनुसार एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों को स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। और केन्द्रीय सरकार को प्रसार सम्बन्धी समस्त व्यय का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

(5) पुरुषों और स्त्रियों में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहिए।

(6) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" नामक एक पृथक् इकाई की स्थापना करनी चाहिए।

(7) राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों

"State council of Education for girls and women" का निर्माण किया जाना चाहिए।

(8) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिका शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी

Scanned with CamScanner